संख्याः 1459 /35–आ–1/2012–12

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव/सचिव
लोक निर्माण/नगर विकास/माध्यमिक शिक्षा/लघु सिंचाई/उच्च शिक्षा विभाग/चिकित्सा एव जनस्वास्थ्य/न्याय विभाग/वन विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/वित्त विभाग।
2–समस्त जिलाधिकारी।
3–समस्त मण्डलायुक्त।

राज्य योजना आयोग–1

लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर,2012

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त सुलभ–सन्दर्भ हेतु संलग्न है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तो के आधार पर ही त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिशिचित की जायेगी।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
2– समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
3– नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।

(प्रेम नारायण) 22/10/12
विशेष सचिव।

संलग्नक

त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त

नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
उद्देश्य	विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जायेगा।
वित्तीय व्यवस्था	वित्तीय वर्ष के लिये योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन विकास कार्यों को वित्त पोषित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं/कार्यों का चयन यथा सम्भव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा ताकि बजट में विवरण सहित समुचित व्यवस्था हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवादस्वरुप एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 के आलोक में परियोजनाओं/कार्यों का चयन समयबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग ससमय सुनिश्चित हो सके।
योजना का आच्छादन	योजना के अन्तर्गत निम्न मदों के लिए पूँजीगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगी:– 1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार 2. शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण / विस्तार 3. ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति तथा मल जल एवं सफाई 4. लघु सिंचाई कार्यक्रम 5. वनीकरण कार्यक्रम 6. विद्युत/विद्युत वितरण केन्द्र/विस्तार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण 7. शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी कार्यक्रम एवं सड़कों का सुधार (अनुरक्षण/मरम्मत के कार्य को छोड़कर) 8. सेतु/पुलों का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण 9. न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/जन सुविधाओं का विकास
कार्यों का चयन	1. योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/जन–प्रतिनिधि / सम्बंधित प्रशासकीय विभाग/ग्रामीण एवं शहरी निकायों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकते हैं।

	2. कार्यों के सम्पादन में जनसहयोग तथा लोगों की भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये विकास कार्यों के चयन में स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभावोन्मुख विकास कार्यों को वरीयता प्रदान की जायेगी। 3. प्राथमिकता के अनुसार विकास कार्यों के प्रस्ताव नियोजन विभाग को संदर्भित किये जायेंगे। 4. इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्ताव नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को सन्दर्भित किये जायेंगे। 5. सम्बन्धित प्रशासकीय विकास विभाग के स्तर से विभागीय मानकों के अनुसार कार्यों का परीक्षण किया जायेगा। 6. सम्बन्धित विभाग द्वारा स्पष्ट रुप से अपने सामान्य बजट के अधीन उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हुये, विकास कार्यों का चयन किया जायेगा। 7. योजना में लिये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिससे कि प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले लिया जा सके। 8. विकास कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पन्न हो सके। 9. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिये अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रुप में प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा। 10. योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन विभाग द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर विभागीय बजट तथा अन्य स्रोतों से धनराशि उपलब्ध होने की पुष्टि करते हुए निम्न सूचना का समावेश कर प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगेः— 1— कार्य अन्य किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है और यदि स्वीकृत है तो अन्य स्रोंतो से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और त्वरित आर्थिक विकास योजना से कितनी धनराशि स्वीकृत की जानी प्रास्तावित है। 2— कार्य के सम्बन्ध में विभागीय संस्तुति 3— आगणन के मूल्यांकन की स्थिति 4— परिसम्पत्ति के मूल्यांकन सृजन के उपरान्त रखरखाव

	की वचनबद्धता 5– संचालन व्यय को विभागीय बजट से वहन किये जाने की पुष्टि 6– योजना के कार्य का मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होना। 7– परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ ही कार्यदायी संस्था से उनके हस्तांतरण कराये जाने की वचनबद्धता
स्वीकृत धनराशि को रखे जाने की व्यवस्था	योजना के अन्तर्गत कार्य/परियोजना विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रक्रिया तथा कार्यों की आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। योजना हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। लेकिन डिपाजिट कार्यो के लिये प्राप्त धनराशियॉ सम्बंधित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–47/दस–97–10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।
कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाना	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा समय–सारणी तैयार की जायेगी और उस समय– सारणी के अनुसार स्वीकृत की गई धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी।
कार्य के आगणन	योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य के आगणन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त गठित कराये जायेंगे, ताकि गठित आगणनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। तदर्थ रुप से गठित आगणनों को योजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही एक बार स्वीकार किये गये आगणनों को पुनरीक्षित किये जाने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।
आगणनों के स्पेसीफिकेशन्स	विभिन्न विकास कार्यों के सम्बन्ध में तैयार किये जाने वाले आगणनों में मानकों के अनुसार सामान्य स्पेसीफिकेशन्स रखे जायेंगे। सामान्य स्पेसीफिकेशन से उच्च स्पेसीफिकेशन होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा औचित्य पूर्ण प्रस्ताव के साथ मा. मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
आगणनों/परियोजनाओं का मूल्यांकन	योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य के गठित आगणन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पी.एफ.ए.डी. से मूल्यांकित कराये जायेंगे। परियोजनाओं/कार्य की लागत के अनुसार व्यय वित्त समिति से परियोजनाओं/कार्य/आगणनों को अनुमोदित कराने का दायित्व भी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का होगा।

कार्यों की प्राथमिकता	योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिससे कि प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले लिया जा सके।
निर्माण एजेंसी/कार्यदायी संस्थाओं का चयन	सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग के यथा संशोधित शासनादेश संख्या–ई–8–215/दस–1998–648/1994 दिनांक 9 मार्च, 1998 के साथ पठित शासनादेश संख्या ई–8–303/ दस–06–89/2204 दिनांक 2 मार्च,2006 तथा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों के अनुसार कार्यवाही करते हुये कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेंसी का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि निर्माण कार्य विभागों द्वारा ही सम्पादित हों। सड़कों एवं पुलों के सम्बन्ध में निर्माण एजेन्सी, लोक निर्माण विभाग, 30 मीटर से अधिक लम्बाई के पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, अन्य निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की स्वंय की निर्माण इकाई अथवा उसके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई निर्माण एजेंसी होगी। जिन विभागों में स्वयं की अथवा उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई नहीं है, उन विभागों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रथम वरीयता राजकीय विभागों की निर्माण एजेन्सियों को प्रदान की जायेगी। किसी भी दशा में निजी संस्था को निर्माण एजेन्सी के रुप में चयनित नहीं किया जायेगा।
प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व	इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित कार्यों में प्रशासकीय विभाग सामान्य पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता–नियंत्रण का कार्य अपने विभागीय कार्यों की तरह ही करेंगे। योजना में अच्छादित कार्यों के सम्मुख इंगित विभाग प्रशासकीय विभाग के रुप में होंगे:– **सम्बन्धित योजना/मद/कार्य — सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग** 1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार — माध्यमिक शिक्षा विभाग 2. राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार — उच्च शिक्षा विभाग 3. शहरी स्वास्थ्य सेवाओं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण/विस्तार — चिकित्सा एव जनस्वास्थ्य विभाग 4. शहरी जलापूर्ति — नगर विकास विभाग 5. ग्रामीण जलापूर्ति — ग्राम्य विकास विभाग 6. वनीकरण — वन विभाग 7. मल जल एवं सफाई — नगर विकास विभाग 8. शहरी क्षेत्रों में जल निकासी कार्यक्रम — नगर विकास विभाग 9. लघु सिंचाई कार्यक्रम — लघु सिंचाई विभाग

	10. विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार/ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग
	11. शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था	नगर विकास विभाग
	12. सेतु निर्माण/ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण	लोक निर्माण विभाग
	13. शहरी क्षेत्रों में सड़कों का सुधार	नगर विकास विभाग
	14. न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/जन-सुविधाओं का निर्माण	न्याय विभाग
परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण	योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्ति कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करने के तत्काल बाद संबंधित विभाग को हस्तांतरित की जायेगी।	
परिसम्पत्ति का रख रखाव	योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव, अनुरक्षण आदि की व्यवस्था सम्बंधित नामित विभाग/एजेन्सी द्वारा अपने सामान्य बजट से की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत रख-रखाव/मरम्मत हेतु कोई धनराशि देय नहीं होगी।	
प्रशासनिक/आकस्मिक व्यय तथा सेन्टेज चार्ज	किसी कार्य विशेष को सार्वजनिक उपक्रमों से कराये जाने की स्थिति में समय-समय पर जारी वित्त विभाग के आदेशों के अन्तर्गत देय सेन्टेज चार्य अनुमन्य होगा। कार्यदायी सस्थाओं को नियमानुसार अनुमन्य सेन्टेज चार्ज से भिन्न किसी प्रकार का प्रशासनिक/आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।	
परिसम्पत्तियों का सृजन	योजना के अंतर्गत केवल पूँजीगत निर्माण हेतु ही धनराशि उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार योजना से उपलब्ध धनराशि से केवल परिसम्पत्तियों का सृजन होगा। योजना के अंतर्गत राजस्व व्यय अनुमन्य नहीं है और सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने बजट से राजस्व व्यय को वहन करना होगा।	
आडिट की व्यवस्था	अन्य शासकीय कार्यों की भॉति योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का नियमानुसार आडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित होगा।	
अवशेष धनराशि यदि कोई हो	योजना के अन्तर्गत कार्य विशेष के लिये स्वीकृत की गई धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा किया जायेगा और उसकी सूचना नियोजन विभाग, वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को दी जायेगी।	
कार्यों की गुणवत्ता	कार्यों की विभागीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था, मण्डलायुक्त तथा जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।	
कार्यों की पुनरावृत्ति पर रोक	सम्बन्धित विभाग का यह दायित्व होगा कि योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत करने की संस्तुति करने हेतु अन्य किसी योजना में उस कार्य को न लिये जाने की पुष्टि की जायेगी। सम्बन्धित	

	जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृति प्रस्तावित है अथवा अन्य किसी स्रोत से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वह कार्य सम्मिलित है।
आगणनों की तकनीकी स्वीकृति	योजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/अनुमानों पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण	कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।
कार्यों का मूल्यांकन	कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जायेगा और वस्तुस्थिति से नियोजन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक रिपोर्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त करके प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
पारदर्शिता	विकास कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पन्न हो सकें।
कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	विकास विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का नियोजन विभाग के स्तर पर आवश्यक परीक्षणोंपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य सम्बन्धितों को प्रेषित की जायेगी।
अन्य संसाधनों से डवटेलिंग	योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिये अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रुप में प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा।
प्रक्रिया	1. योजना में लिए जाने वाले कार्यों के समस्त प्रस्तावों को नियोजन विभाग के स्तर से सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन परीक्षणोंपरान्त कार्यों की प्राथमिकता के क्रम में प्रस्ताव नियोजन विभाग को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

	2. प्रशासनिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मैनुअल तथा इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षणोंपरान्त जारी की जायेगी।
विकास कार्यों की अनुमन्यता	1– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों /राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत प्रथम वरीयता पर भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा द्वितीय वरीयता पर विस्तार अंश में 5 लाख अधिक के मानक के अनुसार नवीन कार्य। 2– शहरी स्वास्थ्य सेवाओं/ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत प्रथम वरीयता पर भवनहीन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ चिकित्सालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा द्वितीय वरीयता पर विस्तार अंश में 5 लाख अथवा अधिक के मानक के अनुसार नवीन कार्य। 3– शहरी जलापूर्ति/ग्रामीण जलापूर्ति सम्बन्धी पाईप वाटर सप्लाई के कार्य तथा हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य। 4– मल जल एवं सफाई से सम्बन्धित 5 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य। 5– शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य। 6– लघु सिंचाई कार्यक्रम सम्बन्धित कार्य। 7– विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार सम्बन्धित 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य। 8– ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धित 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य। 9– शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 10– 30 मी. से अधिक लम्बाई के सेतु निर्माण कार्य। 11– ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण कार्य जिनकी लम्बाई 3 किमी अथवा उससे अधिक है। 12– शहरी क्षेत्रों में सड़कों का सुधार जिसमें गलियां भी सम्मिलित होंगी, (अनुरक्षण उवं मरम्मत को छोड़कर) सम्बन्धी कार्य। 13– विभिन्न न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/अधिवक्ता हाल तथा अन्य जनसुविधाओं का निर्माण सम्बन्धी कार्य। 14– वनीकरण के नवीन कार्य।
शिथिलीकरण.	योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में मा. मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोंपरान्त किया जा सकेगाा।

संख्याः1459 /35–आ–1/2012–12

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव/सचिव
लोक निर्माण/नगर विकास/माध्यमिक शिक्षा/लघु सिंचाई/उच्च शिक्षा विभाग/चिकित्सा एव जनस्वास्थ्य/न्याय विभाग/वन विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/वित्त विभाग।
2–समस्त जिलाधिकारी।
3–समस्त मण्डलायुक्त।

राज्य योजना आयोग–1

लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर,2012

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त सुलभ–सन्दर्भ हेतु संलग्न है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तो के आधार पर ही त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिशिचित की जायेगी।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
2– समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
3– नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।

22/10/12
(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।